[illegible] ५१) को

20/01/25

पत्रा० आज पेश हुई. वकील प्रार्थी उपस्थित/ प्रार्थी/ वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 88 RTA व धारा 53, 188 RTA के साथ पेश कर निवेदन किया कि - खि.आ. खा.न. 1114, 1120, 1121, 2343, 674, 1098, 1106, 2290, 2342, 3025, 314, 357, 364, 581, 588, 589, 658, वगैरह 2855, 2846, 2876, 2877, वाके ग्राम - [illegible] मगाला केलवारा - तहसील है. जिसपर मूल खातेदार हिस्सा रिकॉर्ड खातेदार काबिज काश्त है. आराजी शामलाती की है - आराजी का विभाजन नहीं हुआ है. आराजी का कब्जा, डोलमेड को लेकर तनाव रहता है. अतः भूमि का विभाजन ना होने तक [illegible] - आराजी में मेडबन्दी ना करे. मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें.

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन/नोटिस तलब किये गये. अप्रार्थी सं. 1 to 3 की ओर से श्री रामस्वरूप गुर्जर एड उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया. शेष अप्रार्थीगण की एकतरफा कार्यवाही की गई. अप्रार्थी 1 to 3 की ओर से जवाब में वर्णित किया कि - अप्रार्थीगण सामलात अपनी आराजी पर अपने हिस्से पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जैसे के.सी.सी. लोन वगैरा नहीं मिल पा रहा है नाहीं कृषि विस्तार हेतु [illegible] नहीं ले पा रहे हैं तथा समस्त योजनाओं से वंचित हो रहे हैं. प्रार्थी अप्रार्थीगण को परेशान [illegible]

योजनाओं से वंचित रखना चाहता है. प्रार्थी द्वारा अज्ञात तरीके से प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया है तथा प्रार्थी अपनी स्वयं की खातेदारी पर कृषि कार्य को रहन मुक्त व रहननामा करने में अड़चन पैदा कर दी गई है मौके पर मनवर अनुसार काबिज काश्त है. तथा कानूनी व्यवस्था आरोप को सौंपा है. अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रा. पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी - वाके ग्राम हेमराव नगला कुम्हार पर स्थित है. उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी का अंकन हो रहा है तथा आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 की सहखातेदारी की आराजी है तथा स्थगन भी सहखातेदार अप्रार्थी सं. 1 से 3 के खिलाफ लिया गया है स्थगन होने से अप्रार्थीगण अपने खातेदार अधिकारों का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं व न किसी योजना का लाभ ले पा रहे हैं. तथा इसी प्रकार से खातेदारी कृषि योजना का लाभ से वंचित हो रहे हैं. जो कृषि. विहार हेतु लाभ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि आराजी सहखातेदारी काश्तकारी की है, एक सहखातेदार दूसरे सह खातेदार के विरुद्ध स्थगन जारी नहीं करवा सकता है. प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में है ना कि प्रार्थी के. सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है. तथा अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होती है अगर स्थगन से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों से वंचित होगा. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत R.39 अस्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन दि. 3.1.2024 को खारिज किया जाता है. पत्रा० शामिल कुमार हेमराज दाखिल दफ्तर हो.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला [illegible]